न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/166

1. घांसी लाल आत्मज स्व0 श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम फौलाई तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. घींसी बाई पुत्री स्व0 श्री मांगीलाल जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम फौलाई तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम फौलाई तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. मोहर बाई पुत्री मोती लाल पत्नी सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी रजतगृह कृष्णा बिहार कॉलोनी बून्दी ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. उप पंजीयक, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 22.07.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 122/714 रकबा 1.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 123 कुल किता 02 कुल रकबा 1.48 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का खातेदार मांगीलाल आत्मज औंकार गुर्जर निवासी फौलाई है इनका देहान्त दिनांक 26.10.2003 को हो चुका है इनकी बेवा वादिनी जमना बाई व पुत्र घांसी लाल पुत्री घींसी बाई है जो उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । दिनांक 28.03.2012 को वादीगण पटवारी के पास खाते की नकल लेने गये तब उनके द्वारा बताया गया कि तुम लोगों

का कोई खाता नहीं है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने अधिकारों की विधिवत घोषणा करवाएं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

4. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश किया गया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 के द्वारा राजीनामे के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी कम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के सभी कथनों को कानूनी रूप से स्वीकार किया था । पक्षकारों ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया था और उक्त राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को यदि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री नहीं किया जाना तो पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.05.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था प्रतिवादी कम 1 और 02 के द्वारा जवाबदावा पेश किया और वादीगण का वाद डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया था । पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दावा वादीगण अपीलान्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा को तस्दीक किया था फिर भी दवा डिक्री नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है इसके खातेदार अपीलान्ट के पिता मांगीलाल थे अपीलान्ट कम 01 और 02 एवं वादी कम 1 जमना बाई उनके उत्तराधिकारी हैं। वादी अपीलान्ट इस पर विधिक रूप से काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण अपीलान्ट के पिता मांगीलाल के खाते में थी । मांगीलाल के अपीलान्ट कम 1 पुत्र अपीलान्ट कम 2 पुत्री एवं वादी कम 1 जमना बाई उनकी विधवा पत्नी थी जो उनके उत्तराधिकारी थे। मांगीलाल जी के रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 पुत्र व पुत्री नहीं हैं तथा उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का मांगीलाल जी से कोई सम्बन्ध नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 1 बद्रीलाल का पुत्र है एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 मोती लाल जी की पुत्री है । गलत रूप से

नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए यदि राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता तो गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (2) आरआरटी पेज 990, आरआरडी 1993 पेज 821 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । दावे को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मृत्यु प्रमाण पत्र जमनाबाई की फोटो प्रति संलग्न है । इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 खाता संख्या 141 जिसमें वादग्रस्त आराजी के खातेदार भंवर लाल आत्मज मांगीलाल, मोहरबाई पुत्री मांगीलाल को अंकित किया गया है । नकल नामान्तरकरण संख्या 325 संलग्न है जिसमें मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर भंवर लाल एवं मोहर बाई के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । पत्रावली पर ग्राम पंचायत फौलाई का प्रमाण पत्र भी संलग्न है जिसमें मांगीलाल के वारिसान जमना बाई, घांसीलाल और घींसी बाई को दर्शाया गया है । मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में सलग्न नहीं हैं ।

11. वादीगण के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है कि मांगीलाल के वो विधिक वारिस हैं । प्रतिवादी कम 1 व 2 मांगीलाल के विधिक वारिस नहीं हैं । गलत रूप से उनके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब पेश किया है और एक राजीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ है इस राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक करके पत्रावली में संलग्न किया है । राजीनामे में वादीगण में से किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और इस राजीनामे के द्वितीय पेज के पीछे जहॉ पर पीठासीन अधिकारी ने राजीनामे को तस्दीक किया है वहॉ पर वादीगण में से सिर्फ घांसी लाल के हस्ताक्षर हैं अन्य वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा बरूए राजीनामा डिक्री नहीं किया है और राजीनामे में अंकित तथ्यों को स्वीकार योग्य नहीं माना है । यदि राजीनामे को विधिक रूप से सही नहीं माना जाता है तो गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है । इसके उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है । पेश किये राजीनामें में समस्त वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । इस दृष्टि से भी इसको विधिक नहीं माना जा सकता । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट वादी को अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2013 निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/7/19

(भार्गवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा